



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 575758



न्यास-पत्र (ट्रस्ट-डीड)

स्टाम्प-500/-रु.

यह न्यास-पत्र आज दिन-शुक्रवार, को स्थान-गाजियाबाद, में निम्नवत् निष्पादित किया जा रहा है :-

यह कि श्री नरेश कुमार (यूनिक आई.डी.-8787-1262-3539) पुत्र श्री बलदेव राज निवासी: ए-11, शिव विहार, राम वाटिका, पार्क, साहिबाबाद, तहसील व जिला गाजियाबाद, यूपी ... अध्यक्ष/ट्रस्टी।

एवं

सुरेश कुमार (यूनिक आई.डी.-5380-8685-2187) पुत्र श्री बलदेव राज निवासी: ए-11, शिव विहार, राम वाटिका, पार्क, साहिबाबाद, तहसील व जिला गाजियाबाद .. सचिव/ट्रस्टी।

यह कि उक्त पक्ष एक ट्रस्ट स्थापित कर रहे हैं, जिसका नाम-संस्कृत इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ट्रस्ट, व पता: ए-9/1, न्यू डिफेंस कॉलोनी, भौपुरा, तहसील व जिला गाजियाबाद, यूपी., होगा, जो निम्नवत् है-

1. उक्त ट्रस्ट अंकन-10,000/-रु. से शुरू किया जा रहा है।
2. उक्त ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत में रहेगा।

उक्त ट्रस्ट के उद्देश्य निम्न होंगे-

1. शिक्षा का प्रसार-प्रचार करना।
2. लोगों को शिक्षा के विषय में समझाना, शिक्षित बनाने हेतु उनको शिक्षा के अधिकार का महत्व बताना।
3. संस्थान द्वारा जगह-जगह पर प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर लड़के-लड़कियों व युवक-युवतियों का निम्न विषय के अन्तर्गत प्रशिक्षण देना, जैसे-वोकेशनल कोर्स, इन्डस्ट्रियल कोर्स, एकेडमिक कोर्स, कम्प्यूटर कोर्स, सिलाई-कढ़ाई, यूटिलियन, फैशन-डिजाईल, कुकिंग, आर्ट-क्रॉफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, मेंहदी, मोबाईल रिपेयरिंग, आरकन्डी फ्लोवर आदि।
4. छात्र-छात्राओं को उक्त विषय के योग्य आध्यापक-आध्यापिकाओं द्वारा भिन्न विषयों में प्रशिक्षण दिलाना, योग्य बनाना।
5. संस्थान द्वारा छात्रों के विषय का प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद संस्थान द्वारा योग्य विषय के उत्तीर्ण होने पर प्रमाण-पत्र देना।
6. छात्र-छात्राओं के आवासीय संस्थान के निकट ब्यूटी-पॉर्लर, सिलाई, मास्टर कोर्स के अनुभवी, योग्य आध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण करना।
7. गरीब व असहाय छात्र-छात्राओं को मुफ्त प्रशिक्षण देना, व उत्तीर्ण होने पर मुफ्त प्रमाण-पत्र देना, और संस्थान द्वारा गरीब छात्र-छात्राओं की आगामी शिक्षा भविष्य हेतु मुफ्त मुहैया कराना।
8. संस्थान द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी, जिसमें छात्र-छात्राओं को होनहार बनाया जायेगा, ताकि छात्र-छात्राओं को बड़े-बड़े इण्टरव्यू में बैठने में खुद को मायूसी महसूस न हो।
9. संस्थान द्वारा, जो दान, चन्दा आयेगा, उसे गरीब बच्चों में बांटना, व शिक्षा के लिये जागरूक करना।
10. संस्थान द्वारा अपने विचार निजी/सरकारी/गैर-सरकारी निकायों में रखना/ बताना कि यह संस्था किस रूप में कार्य करेगी।
11. संस्था का सभी हिसाब, छात्र-छात्राओं की लिस्ट, प्रशिक्षण संस्थानों की लिस्ट, एक रजिस्टर में मजबूत जिम्मेदारी से रखना संस्थान का काम है।




निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु
प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री नरेश कुमार, पुत्र श्री बलदेव राज

निवासी: ए-11 शिव विहार राम वाटिका पार्क
साहिबाबाद गाबाद

व्यवसाय: अन्य

न्यासी 2: 1



श्री सुरेश कुमार, पुत्र श्री बलदेव राज

निवासी: ए-11 शिव विहार राम वाटिका पार्क
साहिबाबाद गाबाद

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री विष्णु जैन, पुत्र श्री सुरेश कुमार जैन

निवासी: ए-744 न्याय खण्ड-1 इन्दिरापुरम
गाबाद

व्यवसाय: अन्य

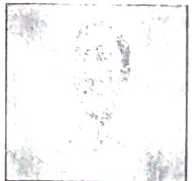
पहचानकर्ता : 2



श्री पवन कुमार चतुर्वेदी, पुत्र श्री प्रदीप कुमार
चतुर्वेदी

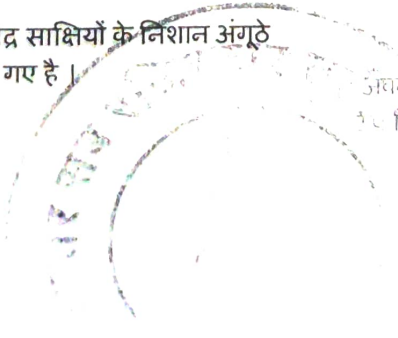
निवासी: 532केएच/51के मेंहदी टोला अलीगंज
लखनऊ

व्यवसाय: वकालत



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे
नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी :



अनंद कुमार रावराणा
उप निरीक्षक : सदर तृतीय
साहिबाबाद

12. भारतीय सरकारी न्यास पंजीकरण अधिनियम-1882 के अन्तर्गत कभी शिक्षा अपनी पसन्द के स्कूल/कॉलेज/संस्थान/संस्थान में शिक्षा/प्रशिक्षण का पूर्ण अधिकार है।
13. सभी को शिक्षा के अधिकार के लिये समझाना, बताना, संस्थान का मुख्य उद्देश्य होगा।
14. संस्थान द्वारा एक लाईब्रेरी की स्थापना की जायेगी, जिसमें छात्र प्रत्येक कोर्स से सम्बन्धित पुस्तक का बैठकर निःशुल्क अध्ययन कर सकते हैं, और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं।
15. संस्थान द्वारा सभी कोर्सों में छात्रों-छात्राओं को दूरस्थ शिक्षा प्रदान के अन्तर्गत प्रशिक्षण की सुविधा है। संस्थान द्वारा छात्रों को कोर्स के पाठ्यक्रम की सभी सामग्री दी जायेगी, जिससे छात्र-छात्राओं द्वारा घर में अध्ययन करके अपनी प्रशिक्षित फाईल संस्थान को भेजनी होगी। फाईल में किये कार्य के अनुसार यदि छात्र उत्तीर्ण होता है, तो प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

उक्त ट्रस्ट/न्यास के निम्न नियम हैं-

1. न्यास का बैंक खाता किसी भी राष्ट्रीय/सरकारी बैंक, या बैंकों में खोला जायेगा, जिसका संचालन किसी ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति या स्वयं द्वारा किया जा सकता है।
2. न्यास से होने वाली आय का कुछ भाग समय-समय पर सामाजिक कार्यों व न्यास के उद्देश्यों पर व्यय किया जायेगा।
3. न्यास कहीं से भी किसी भी प्रकार का उपहार (नगद/या किसी प्रकार) किसी भी व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है।
4. मौजूदा ट्रस्टियों के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह किसी नये ट्रस्टी को उक्त ट्रस्ट से जोड़ लें, जिनकी संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती, तथा किसी भी कारण कोई स्थान रिक्त होता है, तो ट्रस्टियों को अधिकार होगा कि वह नये व्यक्ति को रिक्त हुए स्थान पर नामांकित कर दें।



AN CHATURVEDI
Trustee
U.P. Reg.

5. ट्रस्ट में एक मैनेजिंग ट्रस्टी नियुक्त किया जा सकता है, जिसके पास ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख-रेख करने का अधिकार, संचालन का अधिकार तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकार रहेंगे।
6. न्यास की हर वर्ष एक एन्यूअल जनरल मीटिंग होगी।
7. न्यास को उसके द्वारा किये गये कार्यों से होने वाली आय को सम्पूर्ण रूप में, या आंशिक रूप में निवेश किया जायेगा, व उक्त निवेश से होने वाली आय भी ट्रस्ट की ही सम्पत्ति/आय रहेगी।
8. ट्रस्टी न्यास के नियम कार्यों में परिवर्तन कर सकते हैं।
9. ट्रस्टी ट्रस्ट की पूंजी को चल-अचल सम्पत्ति, जैसे-लैण्ड, स्टॉक, डिबेन्चर या अन्य सिक्क्योरिटी आदि को क्रय करने हेतु इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे होने वाली आय को, या आंशिक भाग को ट्रस्टी दुबारा निवेश, हस्तान्तरित या खर्च कर सकते हैं, जैसा कि ट्रस्टी ठीक समझें।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु यदि कोई खर्चा ट्रस्टी द्वारा होता है, तो उसे लेने के ट्रस्टी ट्रस्ट से पूर्ण हकदार होंगे।



PAWAN CHATURVEDI
Advocate
Tehsil Court
U.P. Reg. No. 12345

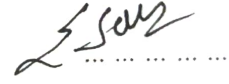
(Signature)

(Signature)

11. न्यास की सम्पत्ति पर होने वाले किसी वाद-विवाद की स्थिति में ट्रस्टी उक्त वाद को समाप्त करने हेतु एक ऑर्बिटटर को नियुक्त कर सकते हैं, और यदि कोई वाद-विवाद दायर करना पड़ता है, तो उसकी पैरवी कर सकते हैं।
12. न्यास के संचालन व प्रशासनिक कार्य में होने वाले खर्चों/नुक्सान को ट्रस्ट वहन् करेगा।

उक्त संस्था का ऑफिस ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। उक्त ट्रस्ट के द्वारा किसी चल-अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं हो रहा है। उक्त ट्रस्ट के पास अपनी कोई चल-अचल सम्पत्ति नहीं है।

अतः यह न्यास-पत्र फरीकेन ने बिना किसी बहकाव व धमकाव के साथ शुद्ध बुद्धि व प्रसन्नचित्त की दशा में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

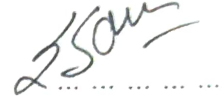




गवाह नं० 1-

विष्णु जैन पुत्र सुरेश कुमार जैन
नि०: ए-744, निकट साई मंदिर,
न्याय खंड-1, इंदिरापुरम, गा.बाद।
(यूनिक आई.डी.-5861-4275-1757)



अतः यह न्यास-पत्र फरीकेन ने बिना किसी बहकाव व धमकाव के साथ शुद्ध बुद्धि व प्रसन्नचित्त की दशा में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

गवाह नं० 2-



पवन कुमार चतुर्वेदी पुत्र प्रदीप कुमार
तहसील कम्पाउंड, गा.बाद।

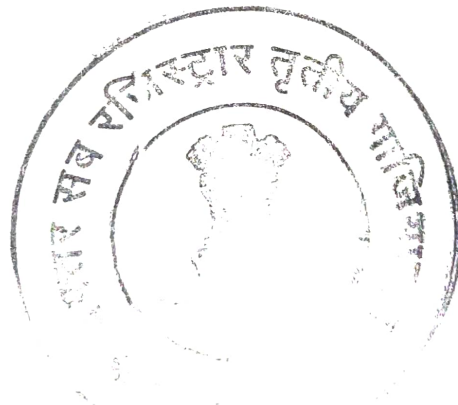


दिनांक-25.05.2018, मसौदा पवन कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट- 76

तहसील कम्पाउण्ड, गाजियाबाद।

PAWAN CHATURVEDI
Advocate
Ghazi Compound Ghaziabad
U.P. Reg. No. 837921

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 1022 के पृष्ठ 81 से 100
तक क्रमांक 1388 पर दिनांक 25/05/2018 को रजिस्ट्रीकृत
किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अवनीश कुमार सक्सेना
उप निबंधक : सदर तृतीय
गाजियाबाद